जसवंत सिंह आयोग की सिफारिशें

794. **श्री लाल कृष्ण आडवाणी :**
श्री कैलाशपति मिश्र :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालयों की अतिरिक्त पीठ स्थापित करने के संबंध में जसवंत सिंह आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने इन सिफारिशों पर अंतिम रूप से विचार कर लिया है, यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय लिया गया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) और (ख) जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट अभी भी सरकार के विचाराधीन है। इस प्रक्रम पर रिपोर्ट और इस संबंध में की जाने वाली कार्रवाई के बारे में ब्यौरा देना संभव नहीं है।

मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में लिये गये निर्णय

795. **श्री कैलाशपति मिश्र :**
श्री लाल कृष्ण आडवाणी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1985 में दिल्ली में हुए मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) जिन सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है उनके ब्यौरे और कारणों सहित उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जिन्हें सरकार ने स्वीकृत किया है और गत एक वर्ष के दौरान कार्यान्वित किया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने फरवरी, 1985 में दिल्ली में हुए मुख्य न्यायमूर्तियों से सम्मेलन का कार्यवृत्त सरकार को भेजा था, जो निम्नलिखित विषयों के बारे में है :—

(i) अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन।

(ii) संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के अनन्य नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन सतर्कता सेलों की स्थापना।

(iii) राज्य के बाहर से मुख्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति।

(iv) संबंधित राज्यों के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में उच्च न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना।

(v) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा-शर्तें, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं :—

(1) न्यायाधीशों की शासकीय प्रास्थिति और स्थिति।

(2) मुख्य न्यायमूर्तियों की वित्तीय शक्तियां।

(3) पेंशन और कुटुम्ब पेंशन।

(4) सवारी भत्ता, सत्कार भत्ता, मकान भत्ता, साज-सज्जा भत्ता, दैनिक भत्ता, विद्युत भत्ता और स्थानान्तरण भत्ता।

(5) प्राइवेट चिकित्सकों को दी गई चिकित्सक-फीस और उस संबंध में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति।

(6) यात्रा सुविधाएं।

(7) आतिथ्य।

(8) सुरक्षा।

(9) उनकी कारों पर ध्वज लगाना।

(10) अर्जित छुट्टी का अग्रनयन।

बाहर से मुख्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति संबंधी नीति क्रियान्वित की जा रही है

जो केन्द्रीय सरकार से सम्बद्ध हैं। उच्च न्यायालयों की न्यायपीठों की स्थापना और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा-शर्तों में सुधार संबंधी प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का विस्तृत रूप से अध्ययन करने और इस बारे में सिफारिशें करने के लिए विधि आयोग को निर्देश किया गया है। सतर्कता सेलों की स्थापना करना उच्च न्यायालय का कार्य है और उनसे समुचित कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

Project for UNDP programme in Punjab

796. SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Punjab Government has suggested 9 projects for inclusion in UNDP Programme 1985—90;

(b) if so, what action Central Government have taken for approving the inclusion of these programmes in the next UNDP Programme; and

(c) what other steps are contemplated to overcome sickness in small scale industries in Punjab?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) Yes, Sir.

(b) None of the nine project proposals, relating to industrial sector, submitte by the State Government of Punjab have been found acceptable by the authorities concerned for inclusion under the Third UNDP/India Country Programme 1985—90.

(c) In order to tackle problems of sickness of small scale industrial units in the country, the Government as also the financial institutions have recently undertaken a number of steps such as setting up of special cells, inter-institutions committees, facilitating upgradation of technology, institutioanl support etc.

Over production by Modi Rubber Ltd.

797. SHRI K. MOHANAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Modi Rubber Limited have violated the norms and produced nearly double the licenced capacity of tyres and tubes; and

(b) if so, what action has been taken by the Central Government against the said industrial concern?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) and (b) It came to the notice of the Government that the production of M/s. Modi Rubber Ltd. durig 1979-80, was 7.64 lakh nos. of automotive tyres & tubes as against approved capacity of 4lakh nos. A show-cause notice was issued to the company in this regard and an enquiry was held. In the course of the enqiury it was found that the excess production had been achieved by way of improved technology, efficiency and fuller utilization of plant and machinery and not by way of installation of any additional machinery. Further, the firm was also holding a letter of intent No. LI:735(80), dated 6-12-80, for an additional capacity of 2 lakh nos. tyres. The case was examined and, in terms of Government Scheme notified on 4-9-80, the excess installed capacity of the undertaking covered by the Licence was regularised and re-fixed at 7.64 (Seven decimal six four) lakh numbers per annum each for automobile tyres and tubes. The regularisation of excess capacity was also subject to the condition that the letter of Intent No. 735(80), dated 6-12-1980, granted to the company should be deemed to be subsumed in the capacity so regularised.